प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, झालावाड़ थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
प्र0सू0रि0 सं0 ....27/2023.... दिनांक ....3/2/2023....

2. (1) अधिनियम पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018धाराऐं................. 7 पी.सी.(संशोधन) एक्ट 2018

(2) अधिनियम...धाराऐं ....

(3) अधिनियम...धाराऐं..

(4) अन्य अधिनियम एवं .... धाराऐं ....

3. (क) घटना का दिन :– गुरूवार दिनांक :– 02.02.2023
(ख) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 27.01.2023 समय :– 11.15 ए.एम.
(ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ......49...... समय......8:50 PM......

4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) लिखित प्रार्थना पत्र

5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
(क) थाने से दिशा एवं दूरी –चौकी ए.सी.बी. झालावाड़ से करीब 35 कि0मी0 बजानिब उत्तर–पूर्व दिशा
बीट संख्या...जुरामदेही सं...
(ख) पताः– कार्यालय राजीव गांधी सेवा केन्द्र (ग्राम पंचायत भवन), दहीखेड़ा पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ राज0
(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.............जिला ....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
(क) नाम :– श्री विकास
(ख) पिता/पति का नाम :– श्री हरिबल्लभ जाति बागरी
(ग) जन्म तिथि/उम्र :– 23 साल
(घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
(ड़) पासपोर्ट संख्या.......................जारी करने की तिथि............................जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय –
(छ) पता :– दहीखेड़ा थाना पनवाड़ जिला झालावाड़ (राज0)।

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–

1. श्री पंकज गौतम पुत्र श्री मेघराज गौतम जाति ब्राह्मण उम्र 33 वर्ष निवासी व्यासों का मोहल्ला दहीखेड़ा थाना पनवाड़ जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दहीखेड़ा पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ (राज0)

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉं (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – 2500 रूपये ....
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

महोदय,

हालात् घटना क्रम इस प्रकार है कि दिनांक 27.01.2023 को परिवादी श्री विकास पुत्र श्री हरिबल्लभ जाति बागरी उम्र 23 वर्ष निवासी दहीखेड़ा थाना पनवाड़ जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया। परिवादी श्री विकास बागरी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त तथ्य सही होना तथा उस पर स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया तथा परिवादी ने मजमून दरियाफ्त पर

बताया कि उसके भाई श्री अशोक बागरी के नाम से गणेशपुरा मोहल्ला, दहीखेड़ा में दो कमरों व तिबारी का पक्का मकान है। इस मकान में उसके दोनों भाई श्री अशोक बागरी व श्री राकेश बागरी रहते है। इस मकान का ग्राम पंचायत दहीखेड़ा से पट्टा बनवाने हेतु उसके भाई श्री अशोक बागरी द्वारा आज से 3–4 माह पूर्व ग्राम पंचायत दहीखेड़ा में पट्टा जारी कराने हेतु आवेदन पत्र दे रखा है। आवेदन पत्र देने के बाद ग्राम पंचायत में कार्यरत श्री चौथमल द्वारा मकान पर आकर मकान का नाप भी कर लिया है। उसके भाई श्री अशोक बागरी के कहने पर वह 2–3 बार वहां ग्राम पंचायत दहीखेड़ा में जाकर सहायक ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज गौतम से मकान का पट्टा बनवाने हेतु मिला तो उन्होने उससे कहा कि ग्राम विकास अधिकारी नहीं है। उसने कहा कि सरपंच साहब तो बैठे हुए है उनके साईन तो करा लो इस पर श्री पंकज गौतम ने कहा कि सरपंच साहब के हस्ताक्षर कराने से क्या होगा। पट्टा तो ग्राम विकास अधिकारी आने पर ही बन पायेगा। परिवादी मकान का पट्टा बनवाने हेतु कुछ दिन बाद पुनः श्री पंकज गौतम से मिला तो आरोपी ने कहा कि तुम चक्कर काटते रहो यदि तुम्हारे भाई के मकान का पट्टा बनवाना है तो इसके लिए 2500रूपये लगेगें। इस पर उसने कहा कि 2500रूपये किस बात के मांग रहे हो तो श्री पंकज गौतम ने कहा कि सभी से ले रहे है वही तुमसे मांग रहे है। तुम्हारे समाज के एक अन्य आदमी के मकान का पट्टा बनवाया था तुम उससे जाकर पूछ लो उसने भी मुझे 2500रूपये दिये थे। उसके बाद आरोपी ने सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर उसको पट्टा देना बताया था। सहायक ग्राम विकास अधिकारी श्री पंकज गौतम परिवादी के भाई श्री अशोक बागरी के मकान का पट्टा बनवाने तथा उस पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर कराने की एवज में 2500रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहे है। परिवादी ने बताया कि में अपने भाई श्री अशोक बागरी के मकान का पट्टा बनवाने के जायज काम के लिए श्री पंकज गौतम सहायक ग्राम विकास अधिकारी को 2500रूपये रिश्वत राशि के रूप में नहीं देना चाहता हूँ तथा उनको रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मेरे भाई श्री अशोक बागरी ने मुझे कार्यवाही कराने के लिए बोल रखा है तथा उसके द्वारा ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु अधिकृत करने पर ही ब्यूरो कार्यालय में आकर रिपोर्ट पेश करना परिवादी ने बताया है। परिवादी श्री विकास बागरी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र व मजमून दरियाफ्त से मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशोधित) 2018 की धारा 7 की परिधि में आना पाया जाने पर परिवादी श्री विकास बागरी को आरोपी श्री पंकज गौतम के पास ग्राम पंचायत भवन दहीखेड़ा में भिजवाकर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु दिनांक 27.01.2023 समय 12:25 पीएम पर श्री मोहम्मद आफाक हैड कॉनि0 नं0 97 से मालखाना में रखे हुए ब्यूरो कार्यालय के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर को निकलवाकर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा चेक किया जाकर परिवादी श्री विकास बागरी को चालू बन्द करने की विधिवत् प्रक्रिया ऑपरेटिग करना भलीभांति समझाकर सुपुर्द कर रिश्वत की मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आरोपी श्री पंकज गौतम सहायक ग्राम विकास अधिकारी के बारे में जानकारी करने के पश्चात् ग्राम पंचायत भवन दहीखेड़ा पर ही मौजूद होना ज्ञात होने पर ब्यूरो कार्यालय के कॉनि0 श्री देवदान सिंह नं0 425 को निगरानी रखने हेतु परिवादी श्री विकास बागरी के साथ अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों से ग्राम पंचायत भवन दहीखेड़ा के लिए आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। दिनांक 27.01.2023 समय 03:00 पीएम पर परिवादी श्री विकास बागरी व श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री विकास बागरी ने मन् पुलिस निरीक्षक को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर बताया कि मैं व श्री देवदान सिंह दोनों अपनी–अपनी मोटरसाईकिलों पर बैठकर ग्राम पंचायत भवन दहीखेड़ा से कुछ दूरी पूर्व पहुंच गये थे तथा मैंने श्री देवदान सिंह को वहां पर ही मेरा वापिस आने तक इंतजार करने के लिए कहा तथा उसके बाद मैं अकेला ही अपनी मोटरसाईकिल से ग्राम पंचायत भवन दहीखेड़ा पहुंचा तो ग्राम विकास अधिकारी के कमरे में अकेला आरोपी श्री पंकज गौतम सहायक ग्राम विकास अधिकारी मौजूद मिला जिससे मैंने मेरे भाई श्री अशोक बागरी के मकान का पट्टा बनवाने के सम्बंध में वार्तालाप की तो उसने बताया कि सोमवार को 2500रूपये लेकर आ जाना तुम्हारा काम हो जायेगा। मैंने आरोपी श्री पंकज गौतम से रिश्वत मांग सत्यापन व पट्टा बनवाने के काम के सम्बंध में की गयी वार्तालाप के दौरान आपके द्वारा सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर लिया था तथा बाहर आकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को बन्द करने के बाद मैं श्री देवदान सिंह जी के पास आया तथा उनको सारी बात बतायी। उसके बाद हम दोनों एसीबी कार्यालय में वापिस आ गये है। परिवादी श्री विकास बागरी द्वारा बताये गये कथनों की निगरानी हेतु भेजे गये श्री देवदान सिंह कानि0 द्वारा भी पुष्टि की गयी। परिवादी श्री विकास बागरी द्वारा मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किये रिश्वत मांग सत्यापन सम्बन्धी रिकॉर्डेड वार्ता के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा भी चलाकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाया गया था। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री मोहम्मद आफाक हैड कॉनि0 97 को सुपुर्द किया गया तथा परिवादी श्री विकास बागरी को सोमवार अर्थात् दिनांक 30.01.2023 को प्रातः 09.30 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में रिश्वत राशि के 2500रूपये की व्यवस्था कर ट्रेप कार्यवाही कराने हेतु उपस्थित आने तथा अब तक की कार्यवाही के सम्बंध में गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर अपने गांव दहीखेड़ा के लिए रूखसत किया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति डिजिटल वाईस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की गयी। दिनांक 30.01.

2023 समय 10:00 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को उनके चैम्बर में जाकर बताया कि परिवादी श्री विकास पुत्र श्री हरिबल्लभ जाति बागरी उम्र 23 वर्ष निवासी दहीखेड़ा थाना पनवाड़ जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश किया था, मैंने उसी दिन श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 को परिवादी के साथ भेजकर रिश्वत मांग का सत्यापन करवा लिया है तथा सम्पूर्ण हालात से अवगत करवाया। इस पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर मन् पुलिस निरीक्षक को प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये। परिवादी श्री विकास बागरी के रिश्वत राशि लेकर कार्यालय में उपस्थित होने पर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। दिनांक 01.02.2023 समय 08:30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के बाद अवकाश कार्यालय में उपस्थित आने पर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा मुझे बताया गया कि कल दिनांक 31.01.2023 को परिवादी श्री विकास बागरी कार्यालय में उपस्थित आया था। श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 ने मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवादी श्री विकास बागरी को पेश किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से मौखिक दरियाफ्त कर वार्तालाप करने पर परिवादी ने बताया है कि आरोपी श्री पंकज गौतम सहायक ग्राम विकास अधिकारी ने उसे बताया है कि वह सोमवार को शादी के प्रोग्राम में बाहर था तथा कल बुधवार को 2500/-रूपये लेकर आने के लिए कहा है। चूंकि उक्त प्रार्थना पत्र पर अग्रिम कार्यवाही के लिए आपको पाबन्द किया हुआ है। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी को दिनांक 01.02.2023 को प्रातः 09:30 एएम पर रिश्वत राशि 2500/-रूपये लेकर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने व गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रूखसत किया गया था तथा ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना देखते हुए समय 02.00 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा दो स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ के नाम पत्रांक 111 दिनांक 31.01.2023 मुर्तिब कर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 को देकर दिनांक 01.02.2023 को प्रातः 09:00 एएम पर दो सरकारी गवाह भिजवाने के लिए पाबन्द कर उनके नाम, पदनाम व मोबाईल नम्बर अवगत कराने के लिए रवाना किया गया था जिस पर समय 04.00 पीएम पर श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 नं0 279 ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया तथा गोपनीय कार्यवाही हेतु कार्यालय अधीक्षण अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त झालावाड़ के श्री सुनील कुमार पुत्र श्री दयाराम जाति मेघवाल उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट डुमोली खुर्द तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू हाल कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-कोलाना एयरपोर्ट, झालावाड़ व श्री सचिन कुमार प्रजापत पुत्र श्री रतनलाल प्रजापत जाति कुम्हार उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम पोस्ट सिकरौदा मीना तहसील हिण्डौन सीटी जिला करौली हाल कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-कोलाना एयरपोर्ट, झालावाड़ को पाबन्द कर ब्यूरो कार्यालय में पाबन्द शुदा गवाहान का पत्रांक 1832 दिनांक 31.01.2023 मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया गया था। श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी कार्यवाही के पत्र मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द करने पर बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 01.02.2023 समय 09.00 एएम तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार कनिष्ठ अभियंता व श्री सचिन कुमार प्रजापत कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड-कोलाना एयरपोर्ट, झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। जिनसे मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिचय प्राप्त कर की जाने वाली कार्यवाही से अवगत् करवाया गया एवं कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह साथ रहने की सहमति चाही गयी तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने कार्यवाही में साथ रहने की मौखिक सहमति दी। दिनांक 01.02.2023 समय 09:30 एएम पर परिवादी श्री विकास बागरी ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित आया व अवगत कराया कि वह अपने साथ रिश्वत मे दी जाने वाली रिश्वत राशि 2500रूपये लेकर आया है। परिवादी ने यह भी अवगत कराया कि आरोपी श्री पंकज गौतम से पूर्व में हुई वार्ता अनुसार उसने आज रिश्वत राशि लेकर मुझे बुलाया है। परिवादी का ब्यूरो कार्यालय मे उपस्थित दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार कनिष्ठ अभियंता व श्री सचिन कुमार कनिष्ठ अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, झालावाड़ का परिवादी से परस्पर परिचय कराया गया। परिवादी श्री विकास बागरी का दिनांक 27.01.2023 को ब्यूरो कार्यालय में पेश किया गया प्रार्थना पत्र रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़वाने बाबत् पढ़कर सुनाया गया। इस पर दोनों स्वतंत्र गवाहान ने प्रार्थना पत्र को पढ़कर व परिवादी से पूछताछ कर परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये तथा ट्रेप कार्यवाही में सहयोग हेतु साथ रहने की सहमति दी। दिनांक 01.02.2023 समय 09:50 एएम पर परिवादी श्री विकास बागरी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व श्री सचिन कुमार की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा निर्देश देकर श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26 से मालखाना में रखे हुऐ डिजिल वाईस रिकॉर्डर को निकलवाया जाकर सुना गया तो दिनांक 27.01.2023 को परिवादी श्री विकास बागरी व आरोपी श्री पंकज गौतम सहायक ग्राम विकास अधिकारी के मध्य आपस में हुई सत्यापन वार्ता में आरोपी द्वारा परिवादी श्री विकास बागरी से उसके भाई श्री अशोक बागरी के मकान का पट्टा बनाने की एवज में रिश्वत राशि के 2500रूपये लेने हेतु कहने की पुष्टि हुई है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुनकर दिनांक 27.01.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री विकास बागरी के समक्ष वार्ता को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर

वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री विकास बागरी ने एक आवाज स्वंय की तथा दूसरी आवाज आरोपी श्री पंकज गौतम सहायक ग्राम विकास अधिकारी की होना बताया। वार्ता की हुबहु कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता मेरे निर्देशन में श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 द्वारा तैयार करवाकर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 01.02.2023 समय 11:00 एएम पर परिवादी श्री विकास बागरी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व श्री सचिन कुमार के समक्ष अपने पास से 2500 रूपये रिश्वत में दी जाने वाली राशि 500–500 रूपये के कुल 05 नोट भारतीय मुद्रा के मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया। उक्त प्रस्तुत नोटों को मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी व सरकारी स्वतन्त्र गवाहान को दिखा कर श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मालखाना से निकलवाकर मंगवाई तथा उक्त कानि. को रिश्वत में दिये जाने वाले नोट सुपुर्द कर उसके द्वारा 2500/–रूपये रिश्वत राशि के नोटो पर फिनोफ्थलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया गया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे तथा गवाह श्री सुनील कुमार से परिवादी श्री विकास बागरी की जामा तलाशी लिवायी जाकर उसके पास पहने हुये कपड़े व मोबाईल के अलावा कुछ भी नहीं रहने दिया। श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 के हाथ से सीधे ही फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त उक्त रिश्वत राशि परिवादी श्री विकास बागरी की पहनी हुई पेंट की साईड की दाहिनी जेब में रखवायी गयी। परिवादी को हिदायत दी गई की वह रिश्वती राशि को रास्ते में अनावश्यक हाथ नहीं लगाये तथा आरोपी श्री पंकज गौतम सहायक ग्राम विकास अधिकारी द्वारा मांगने पर ही निकालकर रिश्वती राशि उसे देवें। रिश्वती राशि देने के पश्चात् एवं पूर्व में आरोपी से हाथ नहीं मिलायें यदि अभिवादन की आवश्यकता पड़े तो दूर से ही दोनों हाथ जोड़कर अभिवादन कर लें। परिवादी को यह भी हिदायत दी गयी कि आरोपी द्वारा रिश्वती राशि प्राप्त करने के पश्चात कहां रखता अथवा छुपाता हैं का भी ध्यान रखें तथा आरोपी के रिश्वती राशि प्राप्त करने पर अपने स्वंय के सिर पर दोनों हाथ फेर कर या मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल पर मिस कॉल करें ताकि मन् पुलिस निरीक्षक एवं ट्रेप पार्टी को रिश्वती राशि के लेन–देन होने का पता चल जाये। दोनों स्वतन्त्र गवाहन व ट्रैप पार्टी के सदस्यों को भी हिदायत दी गई कि जहां तक सम्भव हो अपनी–अपनी उपस्थिति छुपाते हुए रिश्वती लेन–देन को देखने एवं वार्तालाप को सुनने का प्रयास करें। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी को श्री हर्ष कुमार कानि0 से ही मालखाना में रखवाया गया। एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी डलवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर मिलाकर घोल तैयार करवाने पर गिलास के घोल के रंग में कोई परिवर्तन नहीं आया। कांच के उक्त रंगहीन घोल में नोटों पर फिनोफथलीन पाउडर लगाने वाले श्री हर्ष कुमार कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस तरह दोनों स्वतंत्र गवाहान् श्री सुनील कुमार व श्री सचिन कुमार एवं परिवादी श्री विकास बागरी को दृष्टांत देकर समझाईश की गई कि जो भी व्यक्ति इन फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त नोटो के हाथ लगायेगा या छुयेगा तो उसके हाथों की अंगुलियों को सोडियम कार्बोनेट पाउडर के घोल में धुलवाने पर दोनों पाउडरों के परस्पर मिश्रण से घोल का रंग परिवर्तित होकर गुलाबी हो जायेगा, जिससे यह जाहिर होगा कि उसने फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त रिश्वत राशि प्राप्त की है। इसके पश्चात् श्री हर्ष कुमार कानि. के द्वारा ही गिलास में दृष्टान्त के उपयोग में लिये गये गुलाबी घोल को बाथरूम के वॉश बेसिन में डलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गिलास को साफ साबुन पानी से धुलवाकर कार्यालय में ही छोड़ा गया। फिनोफ्थलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया। दो अलग गिलासों, चम्मच, खाली पव्वों ट्रेप सामग्री किट इत्यादी को भी साफ पानी व साबुन से अच्छी तरह धुलवाये जाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। श्री हर्ष कुमार कानि0 एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के दोनों हाथों को भी साफ पानी व साबुन से धुलवाया गया। इसके पश्चात् परिवादी को छोड़कर समस्त पार्टी के सदस्यगणों की अपनी–अपनी आपस में जामा तलाशी लिवाई गई तथा ट्रेप दल में ब्यूरो स्टाफ के पास स्वंय के विभागीय परिचय पत्र रहने दिये गये, किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु अथवा राशि नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् पुनः परिवादी सहित समस्त ट्रेप पार्टी के हाथ साफ पानी एवं साबुन से धुलवाये गये। रिश्वती लेन देने के समय होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु एक डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के रख रखाव व संचालन की विधि समझाकर परिवादी श्री विकास बागरी को सुपुर्द किया गया। दृष्टांत कार्यवाही की पृथक से फर्द प्राप्ति एवं सुपुर्दगी रिश्वती राशि नोट एवं दृष्टान्त मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़कर सुनाई गई, सुन समझ सही मान सम्बंधित ने अपने–अपने हस्ताक्षर किये। दिनांक 01.02.2023 समय 11:30 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से पूर्व की सम्पूर्ण कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व श्री सचिन कुमार तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब दहीखेड़ा की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। आगे–आगे परिवादी श्री विकास बागरी को उसकी स्वंय की मोटरसाईकिल से रवाना किया तथा श्री हर्ष कुमार कानि. नं. 234 को ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ में छोड़ा गया। समय 12:30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से दहीखेड़ा के नजदीक

पुलिया के पास रोड़ के साईड में रूका परिवादी श्री विकास बागरी अपनी मोटरसाईकिल से मेरे पास आया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी को रिश्वत राशि आरोपी श्री पंकज गौतम को देने व उससे पूर्व उसके पास रखी सरकारी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू करने की पुनः समझाईश कर आरोपी के पास ग्राम पंचायत भवन दहीखेड़ा के लिए रवाना किया गया तथा उसके पीछे–पीछे श्री देवदान सिंह कानि0 425 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को निगरानी हेतु पैदल–पैदल रवाना किया। सरकारी वाहन को वहीं साईड में खड़ा करवाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों सरकारी गवाहान व अन्य जाब्ते के प्राईवेट वाहन से ग्राम पंचायत भवन के नजदीक पहुंचा व ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे की इन्तजार में वाहन में ही मुकीम रहा। समय 01:15 पीएम पर परिवादी श्री विकास बागरी बिना कोई ईशारे किए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि मैं ग्राम पंचायत भवन में गया तो श्री पंकज गौतम सहायक ग्राम विकास अधिकारी वहां पर उपस्थित नहीं था। मैंने स्टाफ के अन्य कर्मचारियों से इस बाबत् जानकारी की तो श्री पंकज गौतम का पंचायत समिति खानपुर जाना बताया। इस पर परिवादी को अपनी मोटर साईकिल से हमराह लेकर मन् पुलिस निरीक्षक मय जाब्ता व सरकारी गवाहान के प्राईवेट वाहन से रवाना होकर गोपनीय स्थान पर पहुंचा तथा आरोपी के ग्राम पंचायत भवन आने के इंतजार में मुकीम रहा। समय 03:30 पीएम पर परिवादी को उसकी मोटर साईकिल से गोपनीय स्थान से आरोपी के पास राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन के लिए रवाना किया गया तथा उसके पीछे–पीछे श्री देवदान सिंह कानि0 425 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को निगरानी हेतु पैदल–पैदल रवाना किया। सरकारी वाहन को वहीं साईड में खड़ा करवाया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों सरकारी गवाहान व जाब्ते के प्राईवेट वाहन से राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भवन के नजदीक पहुंचा व ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के ईशारे के इन्तजार में वाहन में ही मुकीम रहा। समय 04:30 पीएम पर परिवादी श्री विकास बागरी बिना कोई ईशारे किए मन् पुलिस निरीक्षक के पास आया व बताया कि मैं राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन में गया तो वहां राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन के ताला लगा हुआ था। अब आरोपी श्री पंकज गौतम सहायक ग्राम विकास अधिकारी के आने की सम्भावना नहीं है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने पर परिवादी श्री विकास बागरी से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त किया तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स से एक सफेद लिफाफा निकलवाया व ट्रेप राशि 2500रूपये को परिवादी से लिफाफे में रखवाकर श्री गोपाल लाल हैड कॉनि0 को लिफाफा सुपुर्द कर ट्रेप बॉक्स में रखवाया तथा परिवादी श्री विकास बागरी को समझाईश की गयी कि कल वह आरोपी श्री पंकज गौतम की जानकारी करवाकर उसके राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन में उपस्थित आने पर मन् पुलिस निरीक्षक को सुचित करें। परिवादी को अब तक कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की समझाईश कर रूखसत किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता व स्वतंत्र गवाहान के साथ लाये वाहनों से एसीबी कार्यालय झालावाड़ के लिए रवाना हुआ। समय 06:00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय हमराहियान जाब्ता के अपने–अपने वाहनों से एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचा। श्री गोपाल लाल हैड कानि0 नं0 26 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को मालखाने में रखवाया गया तथा दोनों स्वतंत्र गवाहान को गोपनियता बरतने की हिदायत कर कल दिनांक 02.02.2023 को प्रातः 09.00 बजे कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द कर रूखसत किया गया। दिनांक 02.02.2023 समय 09:00 एएम पर तलविदा दो स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार कनिष्ठ अभियंता व श्री सचिन कुमार प्रजापत कनिष्ठ अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड–कोलाना एयरपोर्ट, झालावाड़ ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। दिनांक 02.02.2023 समय 10:30 एएम पर परिवादी श्री विकास बागरी ने श्री देवदान सिंह कानि0 के मोबाईल पर कॉल कर बताया कि श्री पंकज गौतम उसके कार्यालय में आया गया है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर इत्यादी सरकारी व प्राईवेट वाहन में रखवाये तथा मय स्वतंत्र गवाहान श्री सुनील कुमार व श्री सचिन कुमार तथा ब्यूरो स्टाफ के श्री गोपाल लाल हैड कानि. नं. 26, श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि. नं. 97, श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425, श्री पवन कुमार कानि. 28, श्री चन्द्रेश गोयल कानि. नं. 279 मय तथा सरकारी वाहन बोलेरो चालक श्री छोटूलाल नं. 534 के व प्राईवेट वाहन से बजानिब दहीखेड़ा की ओर ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना हुआ। समय 11:30 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ता के सरकारी व प्राईवेट वाहनों से दहीखेड़ा के नजदीक पुलिया के पास रोड़ के साईड में रूका परिवादी श्री विकास बागरी अपनी मोटरसाईकिल से इंतजार करता हुआ मिला। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को निर्देश देकर ट्रेप बॉक्स में रखी हुई रिश्वत राशि 2500रूपये का लिफाफा व डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाया। श्री छोटूलाल चालक कानि0 को निर्देश देकर लिफाफे में रखी हुई रिश्वत राशि 2500रूपये निकलवाकर परिवादी की पेंट की दाहिनी साईड की सामने वाली जेब में रखवायी गयी तथा परिवादी को पुनः समझाईस कर रिश्वत लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जाकर आरोपी के पास राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन, दहीखेड़ा के लिए रवाना किया गया तथा श्री छोटूलाल चालक कानि0 के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान जाब्ते के सरकारी व प्राईवेट वाहन से परिवादी के पीछे–पीछे राजीव गांधी सेवा केन्द्र पंचायत भवन के पास पहुंचा। ब्यूरो जाब्ते में से श्री देवदान सिंह कानि0 425 व श्री पवन कुमार कानि0 28 को प्राईवेट

वाहन से उत्तार कर परिवादी के ईशारे व निगरानी हेतु अपनी उपस्थिति छुपाते हुए आरोपी के कार्यालय के पास मुकीम रहने के निर्देश देकर रवाना किया गया तथा मन् पुलिस निरीक्षक व दोनों स्वतंत्र गवाहान प्राईवेट वाहन में तथा अन्य ब्यूरो स्टाफ सरकारी वाहन में मुकीम रहकर ट्रेप जाल बिछाकर परिवादी के रिश्वत राशि देने के ईशारे की प्रतिक्षा में मुकीम हुआ। दिनांक 02.02.2023 समय 11:50 एएम पर परिवादी श्री विकास बागरी द्वारा राजीव गांधी सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) के चैनल गेट के बाहर आकर पूर्व निर्धारित ईशारा सिर पर हाथ फिराकर ट्रेप पार्टी की और करने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री विकास बागरी के पास पहुंचा तथा पूर्व में परिवादी को रिश्वत लेन–देन वार्तालाप करने के लिए सुपुर्द किया गया डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर कब्जे में लिया। तत्पश्चात् परिवादी श्री विकास बागरी से आरोपी द्वारा रिश्वत राशि मांगने, प्राप्त करने व रखने वाली जगह के बारे में पूछा गया तो परिवादी ने मन् पुलिस निरीक्षक को रूबरू स्वतंत्र गवाहान बताया कि श्री पंकज गौतम ने मुझसे अभी–अभी मेरे भाई के नाम मकान का पट्टा बनाने की एवज में 2500रूपये रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त कर लिये है। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी व स्वतंत्र गवाहान के परिवादी श्री विकास बागरी को साथ लेकर उसके पीछे–पीछे राजीव गांधी सेवा केन्द्र (पंचायत भवन) दहीखेड़ा के चैनल गेट में प्रवेश किया जिस पर परिवादी ने अन्दर दाहिनी तरफ बने हुए कमरे की और ईशारा कर बताया कि आरोपी इसी कमरे के अन्दर बैठा हुआ राजकार्य कर रहा है। इस पर परिवादी, स्वतंत्र गवाहान व ट्रेप पार्टी को साथ लेकर कमरे में प्रवेश किया तो वहां पर महरूम कलर की जाकिट व ब्लैक कलर की जींस पेन्ट पहने हुए कुर्सी पर बैठे सांवले से व्यक्ति की और परिवादी ने ईशारा कर बताया कि साहब यही, श्री पंकज गौतम साहब है, जिन्होने अभी–अभी मुझसे मेरे भाई के मकान का पट्टा बनाने की एवज में 2500रूपये की रिश्वत राशि मांग कर प्राप्त किये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा अपना व हमराहीयान का परिचय उस व्यक्ति को दिया तथा यहां आने का प्रयोजन बताया तो वह घबराकर कुर्सी से खड़े हो गया। मेरे निर्देश पर आरोपी का दाहिना हाथ श्री देवदान सिंह कानि0 425 से तथा बायां हाथ श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 279 से कलाई से ऊपर पकड़वाया जाकर तसल्ली देकर पुनः उस व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाया गया तथा तसल्ली देकर उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पंकज गौतम पुत्र श्री मेघराज गौतम जाति ब्राह्मण उम्र 33 वर्ष निवासी व्यासों का मोहल्ला दहीखेड़ा थाना पनवाड़ जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दहीखेड़ा पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) होना बताया। तत्पश्चात् परिवादी श्री विकास बागरी से ली गयी 2500रूपये की रिश्वत राशि बाबत् आरोपी श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक से पूछा गया कि यह रिश्वत राशि आपने क्यों व किस उद्देश्य के लिए ली है। इस पर आरोपी ने रूबरू गवाहान बताया कि मैंने श्री विकास बागरी के भाई श्री अशोक बागरी के मकान का पट्टा बनाने की एवज में श्री विकास बागरी से कोई रिश्वत राशि की मांग नहीं की है। श्री विकास बागरी से आज जो मैंने 2500रूपये प्राप्त किये है वह मैंने ग्राम पंचायत के विकास शूल्क के रूप में लिये है। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री पंकज गौतम से किसी व्यक्ति का पट्टा बनाने की एवज में विकास शूल्क राशि 2500रूपये प्राप्त करने बाबत् ग्राम पंचायत के निर्णय/आदेश/राज्य सरकार के आदेश के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने इस तरह का कोई आदेश अपने पास नहीं होना बताया। आरोपी से परिवादी के भाई के मकान के पट्टे की पट्टा शूल्क राशि के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने बताया कि श्री अशोक बागरी अनुसूचित जाति एवं बीपीएल सदस्य है। राज्य सरकार के आदेशानुसार अनुसूचित जाति एवं बीपीएल सदस्य का पट्टा निःशुल्क जारी किया जाता है। इसलिए श्री अशोक बागरी का मकान का पट्टा बनाये जाने का शूल्क लिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है, जिस कारण श्री अशोक बागरी से कोई पट्टा शूल्क नहीं लिया गया है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा श्री अशोक बागरी के मकान के पट्टे की स्थिति के बारे में पूछा गया तो आरोपी श्री पंकज गौतम ने बताया कि मैंने श्री अशोक बागरी के मकान के पट्टे की पत्रावली तैयार कर उसका पट्टा तैयार कर दिया है। किन्तु अभी पट्टे पर ग्राम विकास अधिकारी व सरपंच दहीखेड़ा के हस्ताक्षर नहीं हुए है। आरोपी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण का परिवादी श्री विकास बागरी ने खण्डन करते हुए बताया कि श्री पंकज गौतम जी झूठ बोल रहे है। मेरे भाई श्री अशोक बागरी के मकान का पट्टा बनवाने के लिए मैं इनसे मिला तो इन्होने कहां कि तुम ऐसे ही चक्कर काटते रहो यदि तुम्हारे भाई के मकान का पट्टा बनवाना है तो इसके लिए 2500रूपये लगेंगे। तुम मुझे 2500रूपये दोगें तभी मैं तुम्हारे भाई के मकान के पट्टे पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के हस्ताक्षर करवाकर आपको पट्टा दूंगा। फिर मैंने इनसे पैसे कम करने के लिए कहां तो इन्होने कहां कि क्या कम करें जो सबसे ले रहे है वहीं तुमसे ले रहे है। इतने रूपये तो तुझे देने ही पड़ेगें। इस पर आज इन्होने मुझसे अभी–अभी थोड़ी देर पहले मांग कर 2500रूपये रिश्वत राशि के प्राप्त किये है। इनके द्वारा रिश्वत राशि लेने के बाद मैंने चैनल गेट से बाहर आकर रिश्वत राशि लेने का ईशारा आपको कर दिया था। इस पर आरोपी श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक के दोनों हाथों की धुलाई हेतु दो साफ कांच के गिलासों में सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। तत्पश्चात एक कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक के दाहिनें हाथ की उंगलियों व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमेला प्राप्त हुआ। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का आरएच–1,

आरएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। फिर दूसरे कांच के गिलास में तैयार घोल में आरोपी श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक के बायें हाथ की उंगलियो व अंगूठे को उक्त गिलास के घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियो में आधा–आधा मौके पर भरकर सील–मोहर चिट कर मार्का एलएच–1, एलएच–2 अंकित कर सबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। फिर स्वतंत्र गवाह श्री सचिन कुमार को आरोपी श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक द्वारा टेबल पर रखी रिश्वत राशि उठाने के निर्देश दिये जाने पर उनके द्वारा टेबल से रिश्वत राशि के 500–500 रूपये के नोटों की एक थेई उठाकर गिनती करने पर 500–500रूपये के 05 नोट कुल राशि 2500रूपये होना पाया गया। फिर अन्य स्वतंत्र गवाह श्री सुनील कुमार को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर उक्त बरामद नोटों का मिलान करने के निर्देश देने पर दोनों गवाहों ने फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटों के नम्बरों का मिलान कर हुबहु फर्द में अंकित वही नोट होना बताया। बरामद शुदा नोटो के नम्बर निम्न प्रकार है:–

1	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	6TM 097921
2	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	0KV 085978
3	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	5BD 507991
4	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	8BV 535992
5	एक नोट 500/–रूपये का नम्बर	4VD 436298

उक्त बरामद नोटों को एक कागज के सफदे लिफाफे में रखकर लिफाफे पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा एक साफ गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का घोल तैयार करवाकर श्री गोपाल लाल हैड कानि0 26 को निर्देश देकर एक कपड़े की चिन्दी को घोल में डूबोकर टेबिल का वह स्थान जहां पर आरोपी श्री पंकज गौतम द्वारा रिश्वत राशि रखी गयी थी उस स्थान को सोडियम कार्बोनेट के घोल में भीगी हुई कपड़े की चिन्दी से टेबिल को रगड़ कर सोडियम कार्बोनेट के गिलास के घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरकर मौके पर ही सील–मोहर चिट कर मार्का टी–1, टी–2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत कब्जा ब्यूरो लिया गया। परिवादी पेण्डिंग कार्य के सम्बंध में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा आरोपी श्री पंकज गौतम से परिवादी श्री विकास बागरी के भाई श्री अशोक बागरी के मकान के पट्टे की सम्बंधित पत्रावली के बारे में पूछा गया तो आरोपी ने लोहे की अलमारी से एक पत्रावली निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि यह श्री अशोक बागरी के मकान के पट्टे से सम्बंधित पत्रावली है। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली में श्री अशोक बागरी का प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज व श्री अशोक बागरी के मकान का तैयार शुदा पट्टा भी संलग्न है। मकान के पट्टे का अवलोकन किया गया तो मकान के पट्टे का क्रमांक 31998 दिनांक 05.01.2023 अंकित है जिस पर सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी की मोहर लगी हुई किन्तु दोनों के हस्ताक्षर नहीं है। पट्टे से सम्बंधित पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त की जाकर मूल पत्रावली श्रीमती अन्तिमा नागर सरपंच ग्राम पंचायत दहीखेड़ा को सुपुर्द की गयी। दिनांक 02.02.2023 समय 02:50 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्ष के निर्देशन में दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री विकास बागरी के बताये अनुसार घटनास्थल का निरीक्षण कर फर्द नक्शा मौका घटनास्थल बरामदगी रिश्वत राशि तैयार कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 03:20 पीएम पर आरोपी श्री पंकज गौतम हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दहीखेड़ा पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) को जरिये फर्द गिरफ्तारी के गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गयी। दिनांक 02.02.2023 समय 03:40 पीएम पर आरोपी श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक को दोनों स्वतंत्र गवाहन श्री सचिन कुमार व श्री सुनील कुमार के समक्ष, आरोपी को जुर्म से आगाह कर बताया गया कि दिनांक 27.01.2023 को परिवादी श्री विकास बागरी द्वारा राजीव गांधी सेवा केन्द्र ग्राम पंचायत भवन, दहीखेड़ा में आपसे रिश्वत मांग सत्यापन के समय तथा दिनांक 02.02.2023 को वक्त रिश्वत लेन देन के समय परिवादी श्री विकास बागरी से आपकी वार्ता हुई थी, उन दोनों वार्ताओं को परिवादी श्री विकास बागरी द्वारा उसको एसीबी झालावाड़ द्वारा सुपुर्द किये गये डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया था, उसका एफएसएल से परीक्षण करवाने हेतु जरिये फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस दिया गया तो आरोपी श्री पंकज गौतम ने फर्द पर ही स्वंय के हस्तलेख में लिखकर दिया कि " मैं स्वच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देना चाहता हूँ।" अंकित कर हस्ताक्षर किये। उक्त कार्यवाही की फर्द प्राप्ति नमूना आवाज नोटिस तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किया गया। समय 04:30 पीएम ट्रेप कार्यवाही पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री मोहम्मद आफाक हैड कानि0, श्री पवन कुमार कानि0, श्री चन्द्रेश गोयल कानि0 मय प्राईवेट वाहन से आरोपी श्री पंकज गौतम को साथ लेकर उसके रिहायशी मकान व्यास मोहल्ला दहीखेड़ा की खाना तलाशी हेतु रवाना हुआ। समय 05:00 पीएम पर आरोपी श्री पंकज गौतम के रिहायशी मकान व्यास मोहल्ला दहीखेड़ा के बाहर पहुंचा तथा मकान की नियमानुसार खानातलाशी ली जाकर

खानातलाशी के विस्तृत हालात् अंकित करते हुए फर्द खानातलाशी पृथक से मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 06:35 पीएम पर खाना तलाशी की कार्यवाही पश्चात् मन् पुलिस निरीक्षक मय दोनों स्वतंत्र गवाहान हमराहियान जाब्ता मय आरोपी को साथ लेकर प्राईवेट वाहन से एसीबी चौकी झालावाड़ के लिए रवाना हुआ तथा श्री गोपाल लाल हैड कानि0 को परिवादी श्री विकास बागरी तथा ट्रेप सामग्री रिश्वत राशि व आर्टिकलस् इत्यादी लेकर अन्य ब्यूरो जाब्ता के सरकारी वाहन से घटनास्थल से एसीबी चौकी झालावाड़ पहुंचने के निर्देश दिये गये। दिनांक 02.02.2023 समय 07:10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान दोनों स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री विकास बागरी, गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री पंकज गौतम एवं ब्यूरो स्टाफ के साथ लाये सरकारी व प्राईवेट वाहनों से ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पहुँचा। मौके से जब्त शुदा व बरामद शुदा माल बतौर वजह सबूत, रिश्वत राशि तथा धोवन के सैम्पल इत्यादि श्री गोपाल लाल मुख्य आरक्षक नं. 26 को सुपुर्द कर मालखाना रजिस्टर में इंद्राज करवाकर सुरक्षित मालखाना रखवाये गये। दिनांक 02.02.2023 समय 07:15 पीएम पर परिवादी श्री विकास बागरी व दोनों स्वतंत्र गवाहान श्री सचिन कुमार व श्री सुनील कुमार की मौजूदगी में मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा वक्त रिश्वत लेनदेन के समय हुई वार्तालाप जो डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गयी थी को श्री देवदान सिंह कानि. नं. 425 को निर्देश देकर डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से उक्त वार्ता को कार्यालय के कम्प्यूटर में लिवाकर दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री विकास बागरी को कम्प्यूटर के स्पीकर ऑन कर वार्ता को सुनाया गया, उक्त वार्ता में आवाज की पहचान कर परिवादी श्री विकास बागरी ने एक आवाज स्वंय की तथा एक आवाज आरोपी श्री पंकज गौतम की होना बताया। वार्ता को सुन–सुन कर हूबहू कम्प्यूटर से टाईप कर फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता तैयार कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 02.02.2023 समय 07:30 पीएम पर दिनांक 27.01.2023 को परिवादी श्री विकास बागरी व आरोपी श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक के मध्य रिश्वत की मांग से संबंधित वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 01.02.2023 को समय 09.50 एएम पर तैयार की गई थी तथा दिनांक 02.02.2023 को वक्त रिश्वत लेनदेन के समय परिवादी श्री विकास बागरी व आरोपी श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक के मध्य वार्ता हुई थी जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 02.02.2023 को समय 07.15 पीएम पर तैयार की गई थी। उक्त दोनों वार्ताओं को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से कार्यालय कम्प्यूटर में लेकर सेव किया गया था। मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री देवदान सिंह कानि0 नं0 425 के द्वारा जरिये कम्प्यूटर चार सीडी डब करवाई गई, जिसमें एक सीडी आरोपी श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक के लिये, एक सीडी नमूना आवाज हेतु तथा एक सीडी माननीय न्यायालय हेतु कपड़े की थेली में अलग–अलग रखकर तीन सीडीयों को सील मोहर की गई तथा एक सीडी अनुसंधान अधिकारी हेतु पृथक से खुली रखी गई। जिसकी फर्द डबिंग सीडी पृथक से तैयार करवाकर सीडी व फर्द पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर फर्द को शामिल पत्रावली की गयी।

अब तक की कार्यवाही से पाया गया कि दिनांक 27.01.2023 को परिवादी श्री विकास पुत्र श्री हरिबल्लभ जाति बागरी उम्र 23 वर्ष निवासी दहीखेड़ा थाना पनवाड़ जिला झालावाड़ (राज0) ने ब्यूरो कार्यालय झालावाड़ पर स्वंय उपस्थित होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र पेश कर बताया कि उसके भाई श्री अशोक बागरी के नाम से गणेशपुरा मोहल्ला, दहीखेड़ा में स्थित मकान का ग्राम पंचायत दहीखेड़ा से पट्टा बनवाने हेतु उसके भाई श्री अशोक बागरी द्वारा ग्राम पंचायत दहीखेड़ा में आवेदन पत्र दे रखा है। आवेदन पत्र देने के बाद वह ग्राम पंचायत दहीखेड़ा में कार्यरत श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक से मिला तो उसने मकान का पट्टा बनवाने हेतु परिवादी से 2500रूपये रिश्वत राशि की मांग करते हुए कहां कि तुम चक्कर काटते रहो यदि तुम्हारे भाई के मकान का पट्टा बनवाना है तो इसके लिए 2500रूपये लगेगें। जिसका दिनांक 27.01.2023 को गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया तो आरोपी श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी से उसके भाई श्री अशोक बागरी के मकान का पट्टा बनवाने की एवज में 2500रूपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि हुई। दिनांक 02.02.2023 को दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री पंकज गौतम कनिष्ठ सहायक को परिवादी श्री विकास बागरी के भाई श्री अशोक बागरी के मकान का पट्टा जारी करवाने की एवज में 2500रूपये की रिश्वत राशि प्राप्त करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। रिश्वत राशि आरोपी के टेबल से बरामद की गयी तथा आरोपी श्री पंकज गौतम के दोनों हाथों व टेबल का धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी, हल्का गुलाबी व मटमेला प्राप्त हुआ। जिसकी विस्तृत फर्द बरामदगी रिश्वती राशि एवं हाथ धुलाई मूर्तिब की गयी। घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया। ट्रेप कार्यवाही के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री पंकज गौतम के कब्जे से परिवादी के पेण्डिंग कार्य से सम्बंधित श्री अशोक बागरी के मकान के पट्टे से सम्बंधित पत्रावली बरामद कर उसकी प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त की गयी। आरोपी को उसकी आवाज का नमूना देने हेतु नोटिस दिया गया, तो उसने अपने प्रतिउत्तर में स्वैच्छा से अपनी आवाज का नमूना नहीं देने बाबत् लिखित में दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण कार्यवाही एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 27.01.2023 व वक्त रिश्वत लेनदेन वार्ता दिनांक 02.02.2023 की फर्द ट्रांसक्रिप्ट आदि से आरोपी के विरूद्ध जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 आईपीसी का अपराध प्रमाणित पाया गया है।

अतः आरोपी श्री पंकज गौतम पुत्र श्री मेघराज गौतम जाति ब्राह्मण उम्र 33 वर्ष निवासी व्यासों का मोहल्ला दहीखेड़ा थाना पनवाड़ जिला झालावाड़ हाल कनिष्ठ सहायक ग्राम पंचायत दहीखेड़ा पंचायत समिति खानपुर जिला झालावाड़ (राज0) के विरूद्ध जुर्म अंतर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट संशोधित 2018 का अपराध घटित पाये जाने पर आरोपी श्री पंकज गौतम के विरूद्ध उक्त धारा में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राज0 जयपुर को प्रेषित है।

भवदीय;

(रमेशचन्द आर्य)
पुलिस निरीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
झालावाड़।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री रमेशचन्द्र आर्य, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़ ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री पंकज गौतम पुत्र श्री मेघराज गौतम, कनिष्ठ सहायक, ग्राम पंचायत दहीखेड़ा, पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़ के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 27/2023 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

3.2.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 205-08 दिनांक 3.2.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् झालावाड़ (प्रशासन एवं जिला स्थापना स्थाई समिति, झालावाड़)।
3. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झालावाड़।

3.2.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।